न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—491/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00491)

1. मौहम्मद पुत्र खंगारा, जाति मेहरात, निवासी दौलतपुरा द्वितीय, हाल निवासी बिजयनगर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री अली पुत्र अहमदा जाति मेहरात, निवासी गांव दौलतपुरा द्वितीय, हाल तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
2. श्री लाडू पुत्र पदमा,
3. श्री उदा पुत्र पदमा,
4. श्री दीना पुत्र हजारी,
5. श्री नूरा पुत्र जफरू
6. श्री कालू पुत्र जफरू
7. श्रीमती गेन्दी पत्नी जफरू
8. श्री मिश्री पुत्र सुबरान
9. श्री भंवर पुत्र सुबरान
10. श्री मंगला पुत्र रूपा
11. श्री भंवरू पुत्र किशना,
12. श्री सकरू पुत्र किशना,
13. श्री छोटू पुत्र किशना
14. श्री हबीब पुत्र किशना
15. श्री शोकिन पुत्र किशना
16. श्री नीरा पुत्र किशना

    समस्त जातिगण मेहरात, निवासीगण दौलतपुरा द्वितीय, हाल निवासी बिजयनगर, जिला अजमेर।
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, राजस्व वाद संख्या 49/2011 उनवान श्री अली बनाम श्री लाडू व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितः—

1. श्री वैभवकृष्ण पारीक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अय्यूब खान, अभिभाषक रेस्पोडेंट 1 से 4 व 6
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 17
4. रेस्पोडेंट संख्या 05, 07 से 16 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः—31.12.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादी अपीलांट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 17 के विरूद्ध दावा अंतर्गत धारा 53, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, जिला अजमेर के यहां प्रस्तुत किया जो दिनांक 8.8.2016 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, मसूदा जिला अजमेर ने दिनांक 30.5.2018 को अंतिम डिक्री पारित किए जाने के आदेश प्रदान किए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 05, 07 से 16 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी तथा प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थी को निर्णय की सूचना प्रदान नहीं की गयी थी इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थी को नहीं हो सकी थी तथा दिनांक 06.12.2019 को पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि तुम्हारे विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर) से निर्णय हो चुका है तो प्रार्थी दिनांक 06.12.2019 को मसूदा गया और मुकदमें के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की तो प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई की दिनांक 30.05.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का आदेश पारित किया है। तो प्रार्थी ने नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2019 को प्रस्तुत किया जिस पर 09.12.2019 को प्रार्थी को नकल प्राप्त हुई तथा उसके पश्चात प्रार्थी अपने गांव गया तथा रुपये पैसे का इंतजाम कर अजमेर आया और अपने अभिभाषक से मिलकर यह अपील न्यायालय में बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत कर रहा है। उपरोक्त देरी सद्भाविक तौर पर हुई है तथा प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.12.2019 को हुई इसलिये दिनांक 30.05.2018 से दिनांक 18.12.2019 तक का समय माफ किया जाए तथा जानकारी के आधार पर अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाया जाकर अपील का निर्णय गुण—दोष के आधार पर पारित किया जाये जिससे प्रार्थी को उचित न्याय की प्राप्ति हो सके अन्यथा प्रार्थी को अपूर्तिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरीके से नहीं की जा सकेगी। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर जवाब बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन गलत, असत्य एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। अपीलाधीन वाद की संपूर्ण सुनवाई तथा उसमें पारित होने वाले निर्णय तथा उसके पश्चातवर्ती संपूर्ण कार्यवाही की समुचित जानकारी अपीलार्थी को रही है अपीलार्थी/प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस व सम्मन सम्यक रूप से तामीली के उपरांत उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा तय पैरवी की गई एवं समुचित सुनवाई की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किए गए एवं उक्त निर्णय व डिक्री के अनुक्रम में निष्पादन कार्यवाही अमल में लाई गई जिसकी समुचित जानकारी तत्समय ही अपीलार्थी को भली भांति रही है एवं संपूर्ण बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौके पर दिनांक 22.11.2019 को उपखण्ड अधिकारी के आदेश अनुसार प्रत्यर्थी उत्तरदाता संख्या 01 को मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कराया गया तथा मौके पर स्वयं अपीलार्थी मौजूद रहा किन्तु अपीलार्थी ने मोका पर्चा कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया उक्त समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलार्थी को थी एवं रही और अपीलाधीन निर्णय व डिक्री भी अपीलार्थी स्वयं व उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही पारित किए गए, ऐसी स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत उपरोक्त अपील मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा निर्णय की जानकारी दिनांक 06.12.2019 को होना वर्णित किया है उसके सन्दर्भ में समुचित दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किए है एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार देरी के समुचित कारणों को भी वर्णित नही किया है जबकि विधि अनुसार प्रत्येक दिवस की देरी को समुचित रूप से दर्शित किया जाना आवश्यक है, उक्त मद में शेष कथन मनमाने तौर पर अंकित किए है जो विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन जिस कदर अंकित किए है गलत, असत्य एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। सही तथ्य यह है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2018 की समुचित जानकारी अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही रही है, इस पद में वर्णित समस्त कथन मनगढंत रूप से वर्णित किए है, दावे में निर्णय व डिक्री पारित होने की सम्पूर्ण जानकारी अपीलार्थी स्वयं उसके अधिवक्ता को रही है, उक्त देरी का समुचित कारण का उल्लेख नहीं किया है इस कारण से अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अस्वीकार कर इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। उक्त अपील के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने से प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी*

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि उन्होंने किस आधार पर एवं किस कारण से वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान किया था तथा उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के एवं बिना किसी कारण के तथा कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुये अन्तिम डिक्री पारित की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय में सभी तथ्य एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जिन तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया था तथा उसके सम्बन्ध में सभी दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये थे। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करने से पूर्व अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्या प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन तथ्यों को आधार मानकर निर्णय प्रदान किया है वह भी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि बताकर दावा प्रस्तुत किया था तथा उसके संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये थें जबकि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर प्रमाणित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को जवाब दावा प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया है जबकि अपीलाण्ट को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दावा विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली का प्रस्तुत किया था। तो वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 को इसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्या एवं सबूत प्रस्तुत करने चाहिये थे, क्योंकि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने खसरा नंबर 1781 रकबा 06–05–10 के संबंध में वाद प्रस्तुत किया था, और इसमें 5 हिस्सेदार अहमदा, पदमा, पन्ना, धन्ना एवं पूरा को माना था तथा अपीलाण्ट खंगारा का पुत्र है तथा उसका विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 एवं जमाबन्दी खेवट/खतौनी संवत 2073 से 2076 में दर्ज है इसलिये विवादित भूमि में अपीलाण्ट का 1/5 हिस्सा हैं। इसलिये विवादित भूमि में अपीलाण्ट का हक व हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दावा प्रस्तुत किया था। जिसमें प्रतिवादी अपीलाण्ट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 17 को प्रतिवादी बनाया था। तो अधीनस्थ न्यायालय को दावे में निर्णय विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली का निर्णय करना चाहिये था। जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया कि उन्होंने किस आधार पर एवं किस प्रकार दावे का निर्णय किया है। इसलिये वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य था। जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 में खसरा नम्बर 1781 के मु० नजामी बेवा पांचू, सफी पुत्र पांचू, अली, शायर पिसरान अहमदा, हजारी, जफरू, मोती, लाडू, सुबाना, उदा पिसरान पदमा, रामा, गुलाब पिसरान पन्ना व खंगारा पुत्र धन्ना, किशना पुत्र पूरा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

खातेदार अंकित थे। इसलिये वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया और ना ही कोई नोटिस अपीलाण्ट पर तामील हुआ था तथा कुरेजात रिपोर्ट बनाते समय भी अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया था और ना ही अपीलाण्ट को मौके पर बुलाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है और ना ही इस प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री पारित की है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट बनाते समय अपीलाण्ट को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी और ना ही कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना में बनाई गई थी तथा कुर्रेजात रिंपोर्ट तहसीलदार द्वारा नहीं बनाई गई थी अपितु पटवारी द्वारा बनाई गई थी। इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिकी पूर्णतया कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुये पारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2017 आर0बी0जे0 299(लार्जर बैंच), 2006 आर0आर0डी0 752, 2007 आर0आर0डी0 285, 1993 आर0आर0डी0 411, 2010(2)डब्ल्यू एल सी एस0सी0 सिविल 257, 2014(3)डी0एन0जे0(राजस्थान)1136, ए0आई0आर0 एस0सी0 3089.

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 8.6.2016 को निर्णय व प्रारंभिक डिकी पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार बिजयनगर को पत्र क्रमांक 153 दिनांक 13.3.2018 को डिक्री की पालना हेतू तहरीर जारी की गई। अनुपालना में तहसीलदार बिजयनगर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र क्रमांक 2018/859 दिनांक 27.4.2018 को प्रस्तुत किया गया। उपस्थित वादी ने बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिकी जारी करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा दौतलपुरा द्वितीय पटवार हल्का दौलतपुरा द्वितीय तहसील मसूदा हाल बिजयनगर में स्थित खसरा नंबर 1781/1 रकबा 01–17–13 को अली पुत्र अहमदा कौम मेरात एंव खसरा नंबर 1781/2 रकबा 04–07–17 को हजारी, जफरू, लाडू, सुबान, उदा पिसरान पदमा, नैनी पत्नि हजारी, दीना पुत्र हजारी, मेहफुल, रेशमी, कसुमी पुत्रीया हजारी, नूरा पुत्र जफरू, मिश्री, भंवरू पिता सुबान, रामा पुत्र पन्ना, पारसी पुत्री गुलाब, मोहम्मद पुत्र खंगारा, भंवर, शकरू, छोटू, हबीब, शोकिन पिसरान किशना, पतासी, जनता, फरीदा, पुत्रीया किशना, रेशमी पत्नि मेवा, नीरा पुत्र मेवा कौम मेरात साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार हाॅल बिजयनगर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आशय का आदेश वर्तमान रेस्पोडेंट के पक्ष में पारित किया गया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए है– भंवरा व अन्य बनाम जेठाराम स्पेशल अपील/एल0आर0/9740/2012/ बाडमेर, पथापति सुब्बा रेड्डी व अन्य बनाम दी स्पेशल डेप्युटी कलेक्टर (सिविल) नम्बर 31248/2018.

9. हमनें अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 16 का जवाब दिनांक 17.2.2016 को बंद किया गया। यहां यह कहना उचित होगा कि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 16 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किए जाने हेतु दिनांक 5.10.2011 से निरंतर न्यायहित में दिनांक 17.2.2016 तक समुचित रूप से अवसर दिया गया था किंतु उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय बहस सुनी जाकर वाद को प्राथमिक डिक्री किया गया है तथा वादी को विवादित आराजी के पांच हिस्से में से 1.5 अर्थात डेढ हिस्से का खातेदार घोषित किया है जबकि कुर्रेजात रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए मंगवाए जाने के आदेश दिए जाने चाहिए थे जो उनके द्वारा नहीं दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव धारा 53 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)–1955 के नियम 18 से 21 की पालना बाबत भी कोई अंकन प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्रकरण में जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है वह केवल पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.12.2017 को तैयार किया जाकर तहसीलदार, मसूदा को प्रेषित किया गया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा बंटवारा प्रस्ताव धारा 53 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)–1955 के नियम 18 से 21 बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत् नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार किया जाना चाहिए था तथा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए था।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल)1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधान के तहत् विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा बनाया जाना आदेशात्मक है। इस बाबत अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 299 अनुसार *WHETHER UNDER RULE 18 TO 20 OF RAJASTHAN TENANCY (board of revenue) rules 1955 The proposal for division to be prepared by tehsildar is mandatory or tehsildar may sub-delegate his administrative power in respect of preparation of proposal for division.*

THE Larger bench has answered as under;

1- it is not mandatory that complete report was to be prepared by tehsildar himself but he may take assistance of other official as well-

2- second question himself go to the site.Answer is in positive it means that tehsildar himself should go to the right.

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.06.2016 में **विधिक, न्यायिक व प्रक्रियात्मक त्रुटि** कारित की गई है चूंकि प्राथमिक डिक्री **के आधार पर ही अंतिम डिक्री** पारित की जाती है व अंतिम डिक्री का मूल **आधार प्राथमिक डिक्री** ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

त्रुटि कारित की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री भी उसी अनुरूप तैयार की गई है चूंकि प्राथमिक डिक्री ही त्रुटिपूर्ण है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री किसी भी आधार पर उचित नहीं होने व अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षकारान को जवाब, सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः प्राथमिक डिक्री जारी होने पर उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते हुए व उक्त रिपोर्ट पर उनकी आपत्ति व जवाब लेकर उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.01.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

31/12/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner